

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2011/डी-3688

दिनांक: 30-6-11

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 17.06.2011 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 163.1	कार्यकारी समिति की 162वीं बैठक दिनांक 08.04.11 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 162वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 163.2	कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या एच-206 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-206 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
3 163.3	कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या ई-142 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ई-142 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
4 163.4	कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या एफ-281 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-281 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
5 163.5	कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या ई-119 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या ई-119 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
6 163.6	हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 91 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 91 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
7 163.7	जयपुर विकास प्राधिकरण की अभिनव विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-323 की नजराना राशि समयावधि में जमा न होने पर भूखण्ड के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अभिनव विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-323 की नजराना राशि समयावधि में जमा न होने पर भूखण्ड के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-14	
8 163.8	निर्माण कार्यों की धरोहर राशि के कटौती/जमा करने के स्वरूप में परिवर्तन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत एजेण्डा स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	सहायक लेखाधिकारी अधिशाषी अभियन्ता	
9 163.9	फीटर ग्रेड-11 के दो पदों को फीटर ग्रेड-1 में कमोन्नत करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण में फीटर ग्रेड-11 के दो पदों को फीटर ग्रेड-1 में कमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया, तथा प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
10 163.10	जनसम्पर्क अधिकारी का पद सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) में कमोन्नत करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जनसम्पर्क अधिकारी का पद सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) में कमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया, तथा प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

म
सचिव

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
11 163.11	श्री पुष्पेन्द्र सिंह प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराई गई स्वाईन फ्लू जांच पर व्यय की पुर्नभरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री पुष्पेन्द्र सिंह प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराई गई स्वाईन फ्लू जांच पर व्यय की पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
12 163.12	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 20.04.2011 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 20.04.2011 की कार्योत्तर प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
13 163.13	निविदा की विशेष शर्त (Schedule-H) के बिन्दु संख्या 13 में संशोधन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधिशाषी अभियंता (टी.ए.सैल) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार निविदा की विशेष शर्त (Schedule-H) के बिन्दु संख्या 13 में प्रस्ताव अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया।	अधिशाषी अभियंता (टी.ए.सैल)	
14 163.14	जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में विद्युत श्रेणी में संवदको का पंजीयन निम्न चार श्रेणीयों में किये जाने बाबत :- (i) E-I, (ii) E-II, (iii) E-III, (iv) E-IV	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधीक्षण अभियन्ता- प्रथम एवं तकनीकी सहायक निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	अधीक्षण अभियन्ता- प्रथम एवं तकनीकी सहायक निदेशक अभियांत्रिकी	
15 163.15	जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या सी-30ए, क्षेत्रफल 321.80 वर्गगज को निरस्ती से बहाल किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावे।	उपायुक्त जोन-1	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)				
16 163.16	निविदा स्वीकृत कमेटी में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के स्थान पर शक्तियों देने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निविदाओं के निस्तारण हेतु सक्षम कमेटी में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के जविप्रा जयपुर में पदस्थापन होने तक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के स्थान पर निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट) को शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	अधिशाषी अभियन्ता टीए	
17 163.17	राज्य सरकार के पदों के अनुरूप कारपेन्टर का पद नाम व वेतनमान संशोधित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पदनाम एवं वेतनमानों में भिन्नता होने के कारण समानता लाने हेतु राज्य सरकार के पदनामों अनुसार प्राधिकरण सेवा विनियमों में प्रतिस्थापित पदनाम कारपेन्टर ग्रेड-11 के स्थान पर कारपेन्टर एवं कारपेन्टर ग्रेड-1 के स्थान पर वरिष्ठ कारपेन्टर किये जाने हेतु प्रावधानों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
18 163.18	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नगर योजना में भूखण्डधारियों को जमा राशि वापस करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में परीक्षण उपरान्त रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं नजराना में से बिना कोई राशि काटे लोटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-13	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
19 163.19	कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या एफ-92 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या एफ-92 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	
20 163.20	Renewal of Internal Roads in Zone-4 JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधिशाषी अभियन्ता-4 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	अधिशाषी अभियन्ता-4	
21 163.21	कार्यकारी समिति के समक्ष बी.एस.आर. 2006 की दरों से कम दर पर निविदा देने पर अन्तर राशि की बैंक गारन्टी जमा कराने बाबत निर्णय।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कार्यों की गुणवत्त बनाये रखने के लिये उद्यान विकास एवं संधारण कार्यों की प्रचलित शर्तों में ठेकेदार द्वारा यदि बी.एस.आर. दरों से कम दरें निविदा में अंकित करता है, तो उसके अन्तर की राशि के बराबर बैंक गारन्टी जविप्रा में प्रस्तुत करेगा, ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन अथवा निम्न गुणवत्ता के कार्य सम्पन्न करने पर समस्त बैंक गारन्टी राशि जब्त करते हुये 1 वर्ष के लिये टैण्डर में भाग लेने से डी.बार कर दिया जायेगा शर्तों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ	
22 163.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 3, 147, 151, 215, 16, 55, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 233, 135, 8, 9, 71, 67, 68, 69, 70, 72, 77, 65, 78 कुल किता 26 रकबा 32.32 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 3, 147, 151, 215, 16, 55, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 233, 135, 8, 9, 71, 67, 68, 69, 70, 72, 77, 65, 78 कुल किता 26 रकबा 32.32 हैक्टर भूमि के स्थान पर 32.95 हैक्टर भूमि टंकण त्रुटि को देखते हुये किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। शेष कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/04 में स्थगन होने के कारण स्थगित की गई।	अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान)	
23 163.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 34, 59 कुल किता 2 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण स्थगित रखा गया। खसरा न. 34 व 59 अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण प्रकरण में पहुंच मार्ग के बारे में पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावे।	अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान)	
24 163.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/562/3, 13/578, 13/1/4, 13/575, 13/576, 13/577, 13/581, 13/1/2, 13/582, 13/564 कुल किता 10 रकबा 78 बीघा 3 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 13/562/3, 13/578, 13/1/4, 13/575, 13/576, 13/577, 13/581, 13/1/2, 13/582, 13/564 कुल किता 10 रकबा 78 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम नासनौता के स्थान पर ग्राम कापडियावास कला टंकण त्रुटि को देखते हुये किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। शेष कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/04 में स्थगन होने के कारण स्थगित की गई।	अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान)	

म
कृषि
विकास प्र

* ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
25 163.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 15, 123, 124, 126, 127, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 155, 156, 159, 160, 166, 170 कुल कित्ता 21 रकबा 14.89 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 15, 123, 124, 126, 127, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 155, 156, 159, 160, 166, 170 कुल कित्ता 21 रकबा 14.89 हैक्टर भूमि के स्थान पर 15.55 हैक्टर भूमि टंकण त्रुटि को देखते हुये किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। शेष कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/04 में स्थगन होने के कारण स्थगित की गई।	अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान)	
26 163.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 128,161, 162, 163, 164, 183, 184, 185, 153, 154 कुल कित्ता 10 रकबा 12.57 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 128,161, 162, 163, 164, 183, 184, 185, 153, 154 कुल कित्ता 10 रकबा 12.57 हैक्टर भूमि के स्थान पर 12.33 हैक्टर भूमि टंकण त्रुटि को देखते हुये किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। शेष कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/04 में स्थगन होने के कारण स्थगित की गई।	अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान)	
27 163.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 4, 11, 12, 60, 62, 63, 64, 131, 157, 182 कुल कित्ता 10 रकबा 14.88 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पंचशील कालोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नासनौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 4, 11, 12, 60, 62, 63, 64, 131, 157, 182 कुल कित्ता 10 रकबा 14.88 हैक्टर के स्थान पर 11.99 हैक्टर भूमि टंकण त्रुटि को देखते हुये किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूमि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। शेष कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/04 में स्थगन होने के कारण स्थगित की गई।	अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान)	
28 163.28	डॉ. लोकनाथ सोनी, सचिव की पत्नि का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से डॉ. लोकनाथ सोनी, सचिव की पत्नि का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

(म)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
29 163.29	पुनर्ग्रहण शुल्क एवं अन्य प्रस्तुत एकल प्रकरणों के संबंध में।	<p>विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुनर्ग्रहण शुल्क के लिये भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियमों में यथा 14 अ, 17 (6), 18 (3), 18 अ एवं 19 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत विभिन्न भूखण्डों पर आवंटन/कब्जे के आधार पर निर्धारित निर्माण अवधि के पश्चात् पुनर्ग्रहण शुल्क लेकर भूखण्डों का नियमितिकरण करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>निलामी में आवंटित भूखण्डों में कब्जा लेने के बाद 3 वर्ष की निर्माण अवधि पूरी होने के बाद 10 वर्ष तक आरक्षित दर के 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पुनर्ग्रहण शुल्क वसूल करके उपायुक्त स्तर पर भूखण्डों का नियमितिकरण हो सकेगा। रियायती दर पर आवंटित आवासीय भूखण्डों में आवंटन से 5 वर्ष की निर्माण अवधि के पश्चात् 2 वर्ष तक आवंटन राशि के 5 प्रतिशत राशि लेकर आयुक्त महोदय के स्तर पर नियमन का प्रावधान है। 2 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक वर्ष आवंटन राशि पर 5 प्रतिशत लेवी लेकर कार्यकारी समिति द्वारा नियमित करने की शक्तियां हैं।</p> <p>संस्थागत आवंटित भूखण्डों के प्रकरणों में नियम 18(3), 18अ और 19 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अनुसार विकसित भूखण्ड पर जारी आवंटन पत्रों के प्रकरणों में निर्माण अवधि आवंटन तिथि से 2 वर्ष तथा अविकसित क्षेत्रों में कब्जा देने की तिथि से दो वर्ष तथा अन्य संस्थागत आवंटन के प्रकरणों में निर्माण अवधि आवंटन तिथि से 2 वर्ष रखी गई है। इस अवधि के पुरे होने के बाद 3 वर्ष तक विक्रय राशि के 5 प्रतिशत लेवी वसूल कर नियमन आयुक्त महोदय स्तर पर किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि लेवी वसूल कर कार्यकारी समिति द्वारा भूखण्ड का नियमितिकरण हो सकेगा।</p> <p>गृह निर्माण सहकारी समिति एवं निजी विकासकर्ता की योजनाओं के प्रकरणों के लिये वर्तमान नियमों में पुनर्ग्रहण के संबंध में प्रावधान नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।</p>	अति. आयुक्त (पूर्व) एवं संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)	


सचिव
 सदस्य सचिव कार्यकारी समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2011/डी- 3689
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 30-6-11


क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 17.06.11 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री कुलदीप रांका	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री वी.एस. सुण्डा	निदेशक (इंजिनियरिंग)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एच.एस. संचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री पी. अरविन्द	अति. मुख्य नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री विनय शर्मा	XE(CDIV)	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री जे.जे. गुप्ता	GM (Pro.)	आरएसआरटीसी	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री रामावतार मीना	ADM (East)	कलेक्ट्रेट	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री टी.आर. शर्मा	SE (PWD)	पी.डब्ल्यू.डी	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री एन.सी. माथुर	अति. मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजक विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12	श्री रामकृष्ण पारीक	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्रीमती शुचि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक राजस्व सम्पत्ति निस्तारण	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री धमेन्द्र सिंह	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री गिरराज अग्रवाल	संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्रीमती आशा अवरुती	मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री एम.एच. चौधरी	एस.ई	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री राजेन्द्र सिंह	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री ओंकार मल सैनी	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री नरेन्द्र सिंह	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्रीमती स्मिता सरिन	उप निदेशक (व्यय एवं बजट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्रीमती उषा जैन	पीआरओ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर